संख्या-31/758/24-1-15-2376/2014

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (वर्ष 2012-13) की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 163/मप्र (वित्त)/विप्र-2/253/बजट/2014-15, दिनांक 12.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (वर्ष 2012-13) की फण्डिंग हेतु लेखाशीर्षक- "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-11-सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की पुनर्गठन योजना के अर्न्तगत जारी बन्ध पत्रो पर ब्याज के भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अनुदान- आयोजनेत्तर-20-सहायक अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रूपये 29,88,83,000/- (रूपये उनतीस करोड़ अट्ठासी लाख तिरासी हजार मात्र) को बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार लेखाशीर्षक- "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय- 13-सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (वर्ष 2012-13) की फण्डिंग- आयोजनेत्तर-20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में पुनर्वियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-13-सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (वर्ष 2012-13) की फण्डिंग-आयोजनेत्तर-20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई- 10-यू0ओ0- 61 /दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 31/758(1)/24-1-15, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in